न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.
प्रकरण संख्या :– 12/2024 GCMS No. 2024/65
परिवादी :–

1. श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर (राज.)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास खाद्यकारोबारकर्ता मैसर्स रमैया रेस्टोरेन्ट, अनैकांत कॉलोनी कुचामनसिटी निवासी खातियो को मौहल्ला वेस्ट गेट कुचामनसिटी
2. मीरा अग्रवाल खाद्यअनुज्ञाधारी (मालिक) मैसर्स रमैया रेस्टोरेन्ट, अनैकांत कॉलोनी कुचामनसिटी निवासी खातियो को मौहल्ला वेस्ट गेट कुचामनसिटी

" परिवाद अन्तर्गत धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 '
उपस्थिति :–

–:निर्णय :–

दिनांक :– 19/11/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.05.2024 को समय 02.30 P.M. पर रमैया रेस्टोरेन्ट, अनैकांत कॉलोनी कुचामनसिटी पर पॅहुचा। वहां पर श्री मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास कुचामनसिटी मिले, श्री मुकेश कुमार को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री मुकेश कुमार ने स्वयं को रमैया रेस्टोरेन्ट, अनैकांत कॉलोनी कुचामनसिटी का खांद्यकारोबारकर्ता होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा–पत्र, स्वयं के आधार कार्ड की स्वःहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **पनीर (लूज)** लगभग 01 किलोग्राम एक डी–फ्रीज रखे है के अमानक/मिथ्याछाप का शक होने पर 800 ग्राम **पनीर (लूज)** डी–फ्रीज में लगभग 2 किलोग्राम रखे है के अमानक का शक होने पर एक किलोग्राम को खाद्य–कारोबारकर्ता श्री मुकेश कुमार को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जॉच खरीदा, जिसकी कीमत श्री वली मोहम्मद को 320/– रूपये नकद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 10:17:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य–कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. **5 ए** की प्रतियॉ तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर मुकेश कुमार एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता श्री मुकेश कुमार को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा **पनीर (लूज)** को चौड़े मुंह की चार साफ सुखी प्लास्टिक बोतलो में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर उसमें 20–20 बूंदे फॉर्मेलीन की बतौर प्रिजरवेटिव डाली गई। इन चारो बोतलो को ढ़क्कन से एयर टाईट बंद किया। उन पर विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी. ओ. नागौर के कोड एवं क्रमांक Q-2977 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्ष करवाये। चारो नमूना भागो अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.नागौर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. Q-2977 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य–कारोबारकर्ता के हस्ताक्षकर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं.6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिसमें नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगल कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील कर मोहर कर खाद्य विशलषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के क्रमांक/चिकि/एफएसएसए/जारि/2025/409 दिनॉक 12.06.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. **LS/593/Act/2024/621** दिनांक **27.05.2024** के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पनीर (लूज)** का नमूना Substandard होना पाया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में श्री श्री मुकेश कुमार रमैया रेस्टोरेन्ट अनैकांत कॉलोनी कुचामनसिटी खाद्यकारोबारकर्ता ने खाद्य पदार्थ **पनीर (लूज)** Substandard का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा 3 (1) {zx} Substandard {Moisture- 71.17% in place of Result Prcribed standards as per Not more than 60.0% and Milk Fat content of dry matter-9.03% in place of Result Prescribed standards as per Not less than 50.0%}, धारा 26(2)(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य खरीद रसीद मूल, फर्द रिपोर्ट मूल, फार्म नं. 5 ए मूल, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा–पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति, मुख्य खाद्य विशलेषक द्वारा खाद्य नमूना Q-2977 के भाग की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी को नमूने के द्वितीय तृतीय पार्ट चतुर्थ पार्ट जमा कराने की रसीद प्राप्ति रसीद की प्रति, अभिहित अधिकारी द्वारा जारी पत्र की प्रति, अभियुक्त का रेफरल लैब में जांच करवाने का प्रार्थना–पत्र की प्रति, मेमोरेण्डम एवं अभिहित अधिकारी नागौर द्वारा विश्लेषण सूचना पत्र अभियोजन संस्थित किये जाने की प्रति प्रस्तुत की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनॉक 13.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त श्री मुकेश कुमार कुचामनसिटी एवं मीरा अग्रवाल बावजूद इतला अनुपस्थित रहे। जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर Food Analyst Public Health Laboratory Ajmer Rajasthan के **FORM- VII A** रिपोर्ट नं.L.S/593/Act/2024/621 दिनांक 27.05.2024 का अवलोकन किया गया, जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The sample of **Paneer** bearing Code No. and Sr. No **Q-2977** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Substandard as it does not conform to the prescribed standard and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation,2011

पनीर का नमूना घटिया है क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानक और प्रावधानों के अनुरूप नही है।

अतः खाद्य कारोबारकर्ता श्री मुकेश कुमार से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पनीर (लूज)** नमूना नं. **Q-2977** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कोड **Q-2977** वाले पनीर का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **3(1)(zz)(iv)** के अन्तर्गत असुरक्षित खाद्य है, क्योंकि इसमें दूध की वसा को पूर्णतः किसी घटिया या सस्ते पदार्थ से प्रतिस्थापित किया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(अ) एंव 58 इस प्रकार हैः–

धारा 26ः– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगाा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा–58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार **पनीर (लूज)** में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास खाद्यकारोबारकर्ता मैसर्स रमैया रेस्टोरेन्ट, अनैकांत कॉलोनी कुचामनसिटी, मीरा अग्रवाल खाद्य अनुज्ञाधिकारी (मालिक) मैसर्स रमैया रेस्टोरेन्ट, अनैकांत कॉलोनी कुचामनसिटी दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

2006 की धारा 58 के तहत अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र रामनिवास खाद्यकारोबारकर्ता मैसर्स रमैया रेस्टोरेन्ट, अनैकांत कॉलोनी कुचामनसिटी, मीरा अग्रवाल खाद्य अनुज्ञाधिकारी (मालिक) मैसर्स रमैया रेस्टोरेन्ट, अनैकांत कॉलोनी कुचामनसिटी पर राशि रुपये 11000/–(अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश दिनांक 19/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

(राकेश कुमार गुप्ता)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:29 IST
Reason: SelfAttested